

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 304/2024**

In the matter of :

Om Pal Singh

Applicant

Versus

Ram Babu Gupta

Respondent(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Compliance Report Of Orders Dated 19.03.2024 And 04.09.2024 Passed By The Hon'ble National Green Tribunal	1 - 3
2.	A true copy of the order dated 19.03.2024 passed by Hon'ble NGT, is attached here as ANNEXURE - 1	4 - 5
3.	A true copy of the inspection report of the joint committee dated 23.05.2024 and the letter dated 01.06.2024 sent by the RO office is attached here as ANNEXURE - 2 & ANNEXURE - 3	6 - 10
4.	A true copy of the show cause notice dated 19.06.2024 is attached here as ANNEXURE - 4	11 - 12
5.	A true copy of the affidavit dated 05.07.2024 is attached here as ANNEXURE - 5	13 - 17
6.	A true copy of the inspection dated 11.07.2024 is attached here as ANNEXURE - 6	18 - 19
7.	A true copy of the letter dated 31.07.2024 sent by RO, Banda is attached here as ANNEXURE - 7	20

8.	A true copy of the closure order dated 07.11.2024 is attached here as ANNEXURE - 8	21
----	--	----

THROUGH



Priyanka Swami
Advocate
Counsel for the State of U.P
F-13, Jangpura Extension, New Delhi 110014



समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान पीठ, नई दिल्ली

एम0ए0 संख्या-86/2024
सन्दर्भ में
ओ0ए0 संख्या-304/2024



ओम पाल सिंह

....याची

बनाम

रामबाबू गुप्ता व अन्य

....प्रतिवादीगण

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-86/2024 के सन्दर्भ में ओ0ए0 संख्या-304/2024, ओम पाल सिंह बनाम रामबाबू गुप्ता व अन्य, में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 एवं 04.09.2024 की अनुपालन आख्या

1. मैं, शपथी, मृदुल चौधरी आयु लगभग 38 वर्ष पुत्र श्री धनी राम सशपथ निम्नलिखित कथन करता हूँ
2. यह कि शपथी वर्तमान में जिलाधिकारी, महोबा (उ.प्र.) के पद पर कार्यरत है एवं उल्लिखित अधिकारिता क्षमता में मैं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भलीभांति परिचित हूँ तथा शपथ-पत्र पर शपथ लेने में सक्षम एवं अधिकृत हूँ।
3. यह कि जिलाधिकारी कार्यालय, महोबा एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोंदा की पत्रावली एवं अभिलेखों के अनुसार याची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर संख्या-1 के सम्बन्ध में यह कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के क्रम में जिलाधिकारी, महोबा के आदेश दिनांक 09.05.2024 द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जनपद-महोबा व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जनपद-बोंदा के अवर अभियन्ता एवं वैज्ञानिक सहायक सदस्य के रूप में नामित हुए। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 की प्रति संलग्नक संख्या-1 के रूप में संलग्न है।
4. यह कि गठित संयुक्त समिति द्वारा मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23.05.2024 को किया गया और मौके पर पाया कि मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0-1555, बीजा नगर रोड, सुभाष नगर, महोबा द्वारा प्रदूषण के सम्बन्ध

नाटरी-महाबा

यू0 पीठ सरकार

1. पंजीकरण नं0-52/10/2009

में निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक 01.06.2024, क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा के पत्र संख्या-377/सा०/2024 दिनांक 01.06.2024 के माध्यम से सक्षम अधिकारी (मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित की गई। संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 23.05.2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 01.06.2024 की प्रति संलग्नक संख्या-2 एवं संलग्नक संख्या-3 के रूप में क्रमशः संलग्न है।

5. यह कि उक्त रिपोर्ट दिनांक 01.06.2024 के क्रम में मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कारण बताओ नोटिस एच12672/सी-2/एन०जी०टी०-70/24 दिनांक 19.06.2024 निर्गत किया गया। कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.06.2024 की प्रति संलग्नक संख्या-4 के रूप में संलग्न है।

कारण बताओ नोटिस के उत्तर में मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज के स्वामी श्री रामबाबू गुप्ता द्वारा अपना उत्तर शपथ-पत्र के माध्यम से दिया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित तथ्यों के अनुपालन के पश्चात ही उद्योग संचालित करूंगा। उद्योग स्वामी द्वारा प्रेषित शपथ-पत्र संख्या-GX018940 दिनांक 05.07.2024 में स्पष्ट है कि श्री रामबाबू गुप्ता ने उद्योग संचालित न करने हेतु शपथ-पत्र दिया था। शपथ-पत्र दिनांक 05.07.2024 की प्रति संलग्नक संख्या-5 के रूप में संलग्न है।

6. यह कि श्री राम बाबू गुप्ता के शपथ-पत्र दिनांक 05.07.2024 के पश्चात् उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अवर अभियन्ता एवं वैज्ञानिक सहायक द्वारा पुनः मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज का निरीक्षण दिनांक 11.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज के स्वामी श्री रामबाबू गुप्ता द्वारा अपने शपथ-पत्र एवं निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 19.06.2024 में वर्णित शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया। निरीक्षण दिनांक 11.07.2024 की प्रति संलग्नक-6 के रूप में संलग्न है।

7. यह कि निरीक्षण आख्या दिनांक 11.07.2024 को संलग्न करते हुये क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के पत्र संख्या-678/सा०-एन०जी०टी०/2024 दिनांक-31.07.2024 द्वारा बन्दी आदेश



h

9/11/24

निर्गत किये जाने हेतु मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2) उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को संस्तुति की गई। क्षेत्रीय कार्यालय, बोंदा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 31.07.2024 की प्रति संलग्नक संख्या-7 के रूप में संलग्न है।

8. यह कि उक्त पत्र के अनुक्रम में मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेज को बंदी आदेश एच19501/सी-2/एन०जी०टी०-70/2024 दिनांक 07.11.2024 उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत कर दिया गया। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19.03.2024 का अनुपालन करते हुए मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेज को बंद करने का आदेश पारित किया गया। बंदी आदेश दिनांक 07.11.2024 की प्रति संलग्नक-8 के रूप में संलग्न है।
9. यह कि श्री ओम पाल सिंह द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम०ए० संख्या-86/2024 एवं ओ०ए० सं०-304/2024, ओम पाल सिंह बनाम रामबाबू गुप्ता व अन्य, में दिया गया प्रार्थना पत्र प्रयोज्य शून्य हो चुका है। श्री ओम पाल सिंह का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित होगा।



सत्यापन

शपथी

मैं, शपथी उपरोक्त नामित, सशपथ कथन करता हूँ कि शपथ-पत्र के पैरा 1 लगायत 8 मेरे निजी ज्ञान एवं प्रस्तुत प्रपत्रों तथा अभिलेखों के आधार पर सत्य एवं सही हैं। इसमें कोई तथ्य मिथ्या एवं छिपाया नहीं गया है। अतः ईश्वर मेरी मदद करे। प्रस्तुत शपथ-पत्र को आज दिनांक 06-12-2024 को अपने हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया।

शपथी

Affidavit/Document Sworn/put up
before me by Sri/Smt. Mahesh Chandra
S/o, W/o. Mahesh R/o. Mahesh
Tah. Mahesh Distt. Mahesh
The contents of the document have been
read and explained to him/her which they is/are identified by Mahesh
The prescribed Fee is Charged.

06/12/24
S.N. CHANSOURIA
Advocate/Notary
Mahoba
R.N.-55/10/2000

No 21-3-24

Item No. 04

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 304/2024

Om Pal Singh

Applicant

Versus

Ram Babu Gupta

Respondent(s)

Date of hearing: 19.03.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**


Applicant: Mr. Om Pal Singh, Applicant in Person (Through VC)

ORDER

1. This Original Application (hereinafter referred to as 'OA') under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') has been registered by exercising *suo-motu* jurisdiction based on a letter petition dated nil sent by Om Pal Singh son of Ram Pal Singh resident of Subhash Nagar, Mahoba District, Uttar Pradesh and signed by some other persons stating that Ram Babu Gupta and Munna Gupta, sons of Rameshwar Gupta, resident of Balkhandeshwar are running Daal Mill and Peanut Mill, causing pollution. On account of functioning of above mills, air is getting polluted causing health hazards to the residents and even people residing in nearby area facing difficulty in breathing and respiration. Pollution is continuing for last one year and despite complaint made to concerned authorities, no action has been taken.

2. In our view, the complaint can be looked into at the first instance by concerned authorities at the local level for which we constitute a Joint

1



Committee comprising State Pollution Control Board and District Magistrate, Mahoba.

3. District Magistrate, Mahoba shall be the nodal agency for coordination and compliance.

4. The said Committee shall visit the site, collect relevant factual information and, if it finds any violation of environmental laws or norms, would take appropriate remedial, preventive and punitive action against the erring persons in accordance with law and submit a factual report with Registrar General of Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench.


5. With the above directions, OA is disposed of.

6. A copy of this order be forwarded to State Pollution Control Board and District Magistrate, Mahoba by e-mail for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

March 19, 2024
Original Application No. 304/2024
DV



(2)

उद्योग मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेज, गाटा नं०-1555, बीजा नगर रोड, सुभाष नगर, महोबा संचालन में है, परन्तु निरीक्षण के समय मशीनरी प्लांट का संचालन बंद पाया गया। उद्योग की अद्यतन स्थिति एवं अन्य विवरण निम्नवत् है :-

1. सन्दर्भित उद्योग के पूरब दिशा में लगभग 10 फीट के कच्चे रास्ते के उपरान्त शिकायतकर्ता (ओमपाल सिंह) का निवास स्थान है, पश्चिम दिशा में रॉयल इण्टरनेशनल विद्यालय स्थापित है उत्तर दिशा में बीजानगर रोड पश्चात् सुभाषनगर के आवासीय मकान एवं दक्षिण दिशा में रिक्त भूमि है।
2. उक्त उद्योग एक पीनट, ग्रेन एवं दाल उत्पादक इकाई है, जिसकी पीनट, ग्रेन की क्षमता-140 कुन्तल/दिन तथा दाल की क्षमता-400 कुन्तल/दिन की है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मूंगफली, मटर एवं चना का प्रयोग किया जाता है।
3. दाल के उत्पादन हेतु चना/मटर को टैंक, एलीवेटर, रोटरी स्क्रीन (छन्ना), रोल (छिलाई), चक्की, छन्ना, सार्टेक्स की सहायता से दाल का उत्पादन किया जाता है, जिसके साथ सह उत्पाद के रूप में चूनी एवं छिलका का भी उत्पादन होता है।
4. मूंगफली उत्पादन हेतु सर्वप्रथम कच्ची मूंगफली को हापर, राउण्ड चलने, डीस्टोनर, टैंक, बाक्स, छन्ना, सार्टेक्स मशीनों की सहायता से मूंगफली का उत्पादन किया जाता है, साथ ही सह उत्पाद के रूप में छिलका का उत्पादन होता है।
5. उद्योग को उद्यम रजिस्ट्रेशन, फायर लाइसेंस, जी.एस.टी. सर्टिफिकेट, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, महोबा से प्रपत्र-20 घ प्राप्त है।
6. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं ह्यूमिडाइजेशन हेतु किया जाता है तथा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। ह्यूमिडाइजेशन प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह निस्तारित नहीं पाया गया।
7. उक्त उद्योग हरी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है एवं शेड में स्थापित/संचालित है। उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं है।
8. अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) महोदय, महोबा द्वारा निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता को वाइब्रेशन की शिकायत पर तकनीकी संस्थान/विशेषज्ञ संस्था/मान्यता प्राप्त थर्डपार्टी द्वारा जाँच किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये।
9. उद्योग में 125 के०वी०ए० के 02 नग डी०जी० सेट एकास्टिक इनक्लोजर युक्त स्थापित है, जिस पर बोर्ड मानको के अनुरूप चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी।

उद्योग द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 27.04.2023 के अनुसार 2019 से संचालित है। उद्योग को इस कार्यालय के पत्रांक 182676/यूपीपीसीबी/बॉदा(यूपीपीसीबीआरओ)/सीटीओ/बोथ/महोबा/ अथिपना-मोदरी दिनांक 29.04.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है।

उद्योग द्वारा प्रेषित नोटरी शपथपत्र संख्या-जी.बी.900314 दिनांक 27.04.2023 के बिन्दु संख्या-17 पर स्पष्ट शीकित किया गया है कि इकाई के समीप आबादी/स्कूल एवं प्रदूषण के सम्बन्ध में इकाई के विरुद्ध अनहित में शिकायत प्राप्त होने एवं सही पाये जाने की दशा में समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा इकाई के विरुद्ध की गयी कार्यवाही शपथकर्ता को मान्य होगी तथा इकाई को वर्तमान स्तर से अन्यत्र उपयुक्त स्थल पर नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

कृ०प०उ०.....

(3)

12. सन्दर्भित उद्योग के विरुद्ध दायर मूल्य वाद संख्या-40/2022 श्रीमती राजनश्री बनाम रामबाबू गुप्ता को दिनांक 20.05.2023 को न्यायालय सीविल जज सीनियर डिवीजन, महोबा द्वारा खारिज किया गया है।
13. उद्योग के विरुद्ध शिकायतकर्ता श्री ओमपाल सिंह के पत्र दिनांक 14.12.2023 द्वारा इस कार्यालय में शिकायत की गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण एवं निर्गत सहमति जल/वायु में वर्णित प्राविधानों की शर्तों के अनुपालन हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्र संख्या- 889/वैष्णो इन्टरप्राइजेज, महोबा/2023 दिनांक 26.12.2023 प्रेषित किया गया था परन्तु उद्योग द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।
14. उद्योग के विरुद्ध पुनः आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या-20016924000879 के माध्यम से उक्त उद्योग के विरुद्ध श्री ओमपाल सिंह द्वारा शिकायत की गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्योग को पुनः इस कार्यालय के पत्रांक संख्या-1110/सा0-7/आई0जी0आर0एस0/2024 दिनांक 02.03.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका उत्तर उद्योग द्वारा प्रेषित नहीं किया गया था।
15. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित याचिका ओ0ए0 नं0-304/2024 ओमपाल सिंह बनाम रामबाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या एच 08829/सी-2/एनजीटी-613/24 दिनांक 01.04.2024 प्रेषित किया गया था, तत्पश्चात उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 19.04.2024 को शपथपत्र दिनांक 18.04.2024 (जीएक्स 005447) में उद्योग द्वारा नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु शपथपत्र प्रेषित किया गया है (संलग्नक-1) एवं उद्योग के निकटतम निवास करने वाले अन्य स्थलीय निवासियों द्वारा अनापत्ति हेतु शपथपत्र भी प्रेषित किये गये है। (संलग्नक-2) उद्योग द्वारा अनुमन्य भू-प्रयोग प्रमाण पत्र एवं भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र शर्तों के अनुपालन हेतु आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया तथा राज्य बोर्ड द्वारा जारी निर्गत सहमति जल/वायु का बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं किया गया है।
16. निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण नहीं पाया गया। शिकायतकर्ता के आवासीय परिसर में लगे पेड़-पौधे व मकान तथा उद्योग की दीवारों पर डस्ट विद्यमान पायी गयी। जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग संचालन के समय उत्सर्जित डस्ट से आस-पास के लोगो को समस्या होना स्वाभाविक है।
17. उद्योग परिसर में व शिकायतकर्ता के उत्तर दिशा में बीजानगर रोड स्थित है। उद्योग परिसर में धूल के नियंत्रण हेतु मूंगफली प्लांट परिसर में वाटर स्पिंकलर सिस्टम की स्थापना की गयी है जो कि उद्योग परिसर से निकलने वाले वाहनों के आवागमन से उड़ने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पर्याप्त नहीं है।



क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0-889/वैष्णो इन्टरप्राइजेज, महोबा दिनांक 26.12.2023 को पत्र भी प्रेषित किया गया था, जिसमें बिन्दु संख्या-1, 5, 6 पर स्पष्ट अंकित है कि

and use certificate issued by competent authority must be submitted in this office within three months.

- If Complaint is received against the Unit regarding and air pollution, adverse impact on habitation, Unit site after verification if complaint is found true the CTO will be revoked without any prior notice.

As per given commitment in the affidavit dated 27.04.2023, Unit will be shifted to other appropriate place after obtaining the prior permission of the concerned office without any claim. The commitment given in the affidavit dated 27.04.2023 must be complied.

कृ०प०उ०.....

(4)



अतः उद्योग द्वारा सहमति जल/वायु की शर्तों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत रखते हुये उद्योग के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके समक्ष अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

[Signature]

(राज करन वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

[Signature]

(सुशील कुमार)
अवर अभियन्ता

[Signature]

(रामदास)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी /अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), महोबा

[Signature]
01/06/24

[Signature]
1/6/24





राष्ट्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
स्ट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं० 2
बाँदा उ०प्र०-210001

पत्रांक: ३३३/सा०- /2024

दिनांक: 01.06.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),
 उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
 लखनऊ।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा योजित ओ०ए० नं०-304/2024, ओमपाल सिंह बनाम रामबाबू गुप्ता में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सादर अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-08829/सी-2/एनजीटी-613/24 दिनांक 01.04.2024 के अनुक्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा योजित ओ०ए० नं०-304/2024, ओमपाल सिंह बनाम रामबाबू गुप्ता में पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, महोबा द्वारा निर्धारित संयुक्त समिति के साथ दिनांक 23.05.2024 को मैसर्स वैष्णो इण्टेप्राइजेज, बीजा नगर रोड, सुभाष नगर, जनपद-महोबा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन बन्द पाया गया। उक्त उद्योग को कारण बताओं नोटिस निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

भवदीया

(Signature)

(डॉ० माधवी कमलवंशी)
 क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(Signature)
 क्षेत्रीय अधिकारी 01/06/24

(Signature)





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

5

संदर्भ सं

Ref. No.

सेवा में

H/2672 / ए. 3 / NGT-70 / 24

दिनांक

Date

19-6-24

पंजीकृत

प्राप्तिका

25/6/24

मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेज,
गाटा नं०-1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर,
जनपद-महोबा।

यह कि उद्योग मै० वैष्णो इण्टरप्राइजेज, गाटा नं०-1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मूंगफली, मटर एवं चना का प्रयोग कर पीनट ग्रेन क्षमता-140 कुन्तल/दिन तथा दाल क्षमता-400 कुन्तल/दिन के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 2(K) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में दाखिल ओ०ए० नं०-304/2024, ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 23.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) क्षेत्रीय अधिकारी बौदा के पत्र दिनांक 01.08.2024 के साथ प्राप्त हुई है। उक्त आख्यानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं है। उद्योग में 125 के०वी०ए० के 02 नग डी०जी० सेट एकास्टिक इनक्लोजर युक्त स्थापित है, जिस पर बोर्ड मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग के विरुद्ध शिकायतकर्ता श्री ओमपाल सिंह के पत्र दिनांक 14.12.2023 द्वारा राज्य बोर्ड में शिकायत की गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण एवं निर्गत सहमति जल/वायु में वर्णित प्राविधानों की शर्तों के अनुपालन हेतु राज्य बोर्ड के पत्र संख्या-889/वैष्णो इण्टरप्राइजेज, महोबा/2023 दिनांक 26.12.2023 प्रेषित किया गया था परन्तु उद्योग द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उद्योग के विरुद्ध पुनः आई०जी०आर०एस० सन्दर्भ संख्या-20016924000879 के माध्यम से उक्त उद्योग के विरुद्ध श्री ओमपाल सिंह द्वारा शिकायत की गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्योग को पुनः राज्य बोर्ड के पत्रांक संख्या-1110/सा०-7/आई०जी०आर०एस०/2024 दिनांक 02.03.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका उत्तर उद्योग द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण नहीं पाया गया। शिकायतकर्ता के आवासीय परिसर में लगे पेड़-पौधे व मकान तथा उद्योग की दीवारों पर डस्ट विद्यमान पायी गयी। जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग संचालन के समय उत्सर्जित डस्ट से आस-पास के लोगो को समस्या होना स्वाभाविक है। उद्योग परिसर में धूल के नियंत्रण हेतु मूंगफली प्लांट परिसर में वाटर स्पिंकलर सिस्टम की स्थापना की गयी है जो कि उद्योग परिसर से निकलने वाले वाहनों के आवागमन से उठने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पर्याप्त नहीं है। उद्योग द्वारा अनुमन्य मू-प्रयोग प्रमाण पत्र एवं भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र शर्तों की अनुपालन संबंधी आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया तथा राज्य बोर्ड द्वारा जारी निर्गत सहमति जल/वायु का बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं किया गया है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बौदा के पत्र दिनांक 01.08.2024 द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21(4) सपठित धारा-31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न उद्योग मै० वैष्णो इण्टरप्राइजेज, गाटा नं०-1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा को राज्य बोर्ड द्वारा जारी सहमति आदेश जल एवं वायु को रिवोक कर लिया जाए।
2. यह कि क्यों न उद्योग मै० वैष्णो इण्टरप्राइजेज, गाटा नं०-1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
3. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

संलग्नक: यथाप्राप्त

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com



T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

-2-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, महोबा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उOप्रO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बौदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (पृत्त-2)



TIN No. 09534300810
Valid Dt. 15-6-02

Subject to MAHOBA Jurisdiction

Mob. 9415
Utpadak Licence Num



श्री वैष्णो इण्टर प्राइजेज

दुकान नं० B16, नवीन मण्डी स्थल, महोबा

मील मोदाम-बीजानगर रोड, सुभाषनगर, महोबा

05/07/24

पत्रांक :

दिनांक : 5/7/2024

प्रति

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी

उत्प्रेषण नियन्त्रण बोर्ड बांदा

विषय: दिनांक 19.06.2024 के पत्रांक संख्या एच12672/सी2/एन.जी.टी.70/24 के सम्बंध में प्रार्थना पत्र

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मैं रामबाबू गुप्ता वैष्णो इण्टर प्राइजेज बीजानगर रोड सुभाषनगर महोबा का मालिक हूँ। क्षेत्रीय अधिकारी उत्प्रेषण बोर्ड द्वारा दिनांक 19.06.2024 के पत्रांक संख्या एच12672/सी2/एन.जी.टी.70/24 के सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उद्योग परिवर्तन से जुड़े कार्य कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं जिनका अनुपालन मेरे द्वारा किया जा रहा है एवं भविष्य में प्राप्त निर्देशों का पालन निष्ठा पूर्वक किया जायेगा।

संलग्नक:

1. प्रार्थना पत्र

प्रार्थी

रामबाबू गुप्ता

रामबाबू गुप्ता

पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता

पता: नयापुरा नैकाना, महोबा उत्प्रेषण


JK
JK Maestri
Vishu
05/07



M/s Valshno Interprises

रामबाबू गुप्ता
Proprietor

2024/07/24



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


GX 018940

शपथ-पत्र

प्रमाण क्षेत्रीय अधिकारी
उत्प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा



शपथपत्र मिनजानिब रामबाबू गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता नि० नयापुरा नैकाना तह० व जिला महाबा २०२०
गण्य पदक निम्न दयान करता हूँ-

1. यह कि मैं शपथकर्ता कैंषों इण्टरप्राइजेज बीजानगर रोड सुभाष नगर महोबा का मालिक हूँ।
2. यह कि क्षेत्रीय अधिकारी उत्प्र० प्रदूषण बोर्ड द्वारा दिनांक 19.06.2024 के पत्रांक सरख्या एच42672/सो2/एन.जी.टी.70/24 के सम्बंध में विवरण।
3. यह कि मरे द्वारा उद्योग परिसर मूगफली प्लांट में शपथ नियंत्रण हेतु ओर अधिक सिप्रंकरण स्थापना कर लिये गये हैं।
4. यह कि उद्योग द्वारा अनुमत्या भू प्रयाग प्रमाण पत्र 1 माह अन्दर प्राप्त होने पर आपके समक्ष प्रमाण पत्र को दिया जायेगा।
5. यह कि भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर दिया गया है।
6. यह कि आपके द्वारा प्राप्त सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है एवं भविष्य में प्राप्त निर्देशों का पालन निष्ठा पूर्वक किया जायेगा।
7. यह कि उद्योग का संचालन वर्तमान में स्थगित है। एवं आग्नेय आदेश तक स्थगित रहेगा।
8. यह कि शपथ पत्र की धारा 1 लगायत 7 मरी प्राणकारी में सत्यता सहो है।



दिनांक - 05/07/2024


 05/07/24
नोटरी-महाबा
 ग० पी० सरकार
 नजीकरण नं०-52(10)2009


 रामबाबू गुप्ता

 05/07/24

क्रमांक 876 रूपया 1000 वाम दफ्ती.
 श्री वैष्णो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड नाम
 पत्नी महसूम जिल्ला महोबा।
 (R-8)
 स्टाम्प क्रमांक
 श्रीमती विजयी
 महोबा जिला-महोबा कानून-52(10)2009

कार्यालय बरि
 5 Jun 7
 महोबा (कोड-0071)

शिवनारायण

[Signature]

6/17/24




Attestation Document Sworn/put in
 before me [Signature]
 S/o. W/o. Ganesh Chandra R/o. Nalanda Mah
 Tah. _____ Distt. _____

The contents of affidavit/document have been
 read over and explained
 to him/them who [Signature] them he/
 they is/are identified by [Signature]
 The prescribed fee is charged.

(Signature)
 S.N. CHANSOURIA
 Advocate/Notary
 Mahoba
 R.N.-52(10)2009



25/6/2024



97 010941

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ-पत्र

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
जिला महोबा उ०प्र०

शपथपत्र बिनजानिब सपटाबू सुहा सुत्र की रामेश्वर प्रसाद सुन्ना पेटे कयापुरा मैकाला तह० व जिला महोबा उ०प्र० शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूँ-


1. यह कि मैं शपथकर्ता यैष्णों इण्टरप्राइजेज बीतानगर, रोड़, सुभाष नगर, महोबा का मालिक हूँ।
2. यह कि क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड द्वारा दिनांक 19.06.2024 के पत्रांक संख्या एच०१२८७२/सी२/एन.जी.टी.७०/२४ के सम्बंध में विवरण।
3. यह कि मेरे द्वारा उद्योग परिसर मृगाफली प्लांट में अस्ट निर्माण हेतु आवश्यक विजयनगर प्रस्ताव कय लिये गये है।
4. यह कि उद्योग द्वारा अनुमत्य भू प्रयोग प्रमाण पत्र 1 साह अन्दर प्राप्त होने पर प्रस्ताव स कर दिया जायेगा।

यह कि भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर दिया गया है।

यह कि आपके द्वारा प्राप्त सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है एवं भविष्य में जानने के लिए मैं तत्काल निःशुल्क पूर्वक किया जायेगा।

यह कि उद्योग का संचालन वर्तमान में स्थगित है। एवं अग्रिम आदेश तब तक स्थगित रखना।

★ यह कि शपथ पत्र की धारा 1 लगायत 7 मरी जाभकारी में पस्य ग लडी है।



05/07/2024

शपथकर्ता

श्रीमान

1300810
S-01

Subject to MAHOBA Jurisdiction

Mob. 9415417208
Utpadak Licence Number-408

श्री नयापुरा इण्टर प्राइजेज

दुकान नं० B16, नवीन मण्डी रथल, महोबा

रोड बोदाम-बीजानगर रोड, सुभाषनगर, माहोबा

दिनांक : 5/7/2024

सवा में

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

जिला महोबा उ०प्र०

विषय: दिनांक 19.06.2024 के पत्रांक संख्या एच12672/सी2/एन.जी.टी.70/24 के सम्बन्ध में
अर्थना पत्र

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मैं रामबाबू गुप्ता वैष्णो इण्टरप्राइजेज बीजानगर रोड सुभाष नगर
महोबा का मालिक हूँ। क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण बोर्ड द्वारा दिनांक 19.06.2024 के पत्रांक संख्या
एच12672/सी2/एन.जी.टी.70/24 के सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उद्योग परिभ्र में कुछ
परामर्श कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं जिनका अनुपालन मेरे द्वारा किया जा रहा है एवं अतिरिक्त स
निर्देशों का पालन निष्ठा पूर्वक किया जायेगा।

संलग्नक:

अर्थपत्र

प्रतिलिपि: सूचनार्थ प्रेषित

श्रीमान अपर जिलाधिकारी (राजस्व) महोदय, महोबा

प्रार्थी




रामबाबू गुप्ता

पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता

पता: नयापुरा नैकाना, महोबा उ०प्र०

(01) 652773



M/s. Vachno Inter...

माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल ओ0ए0 नं0- 304/2024, ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के परिप्रेक्ष्य में मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0-1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा (जियो कोऑर्डिनेट 25.2901012, 79.8958383) को जारी कारण बताओं नोटिस के परिप्रेक्ष्य में आख्या।

माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल ओ0ए0 नं0-304/2024, ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के अंश निम्नवत् है:-

—“1. This Original Application (hereinafter referred to as ‘OA’) under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as ‘NGT Act, 2010’) has been registered by exercising suo motu jurisdiction based on a letter petition dated nil sent by Om Pal Singh son of Ram Pal Singh resident of Subhash Nagar, Mahoba District, Uttar Pradesh and signed by some other persons stating that Ram Babu Gupta and Munna Gupta, sons of Rameshwar Gupta, resident of Balkhandeshwar are running Daal Mill and Peanut Mill, causing pollution. On account of functioning of above mills, air is getting polluted causing health hazards to the residents and even people residing in nearby area facing difficulty in breathing and respiration. Pollution is continuing for last one year and despite complaint made to concerned authorities, no action has been taken.

2. In our view, the complaint can be looked into at the first instance by concerned authorities at the local level for which we constitute a Joint 2 Committee comprising State Pollution Control Board and District Magistrate, Mahoba.

3. District Magistrate, Mahoba shall be the nodal agency for coordination and compliance.

4. The said Committee shall visit the site, collect relevant factual information and, if it finds any violation of environmental laws or norms, would take appropriate remedial, preventive and punitive action against the erring persons in accordance with law and submit a factual report with Registrar General of Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench.”—

उक्त पारित आदेश के अनुक्रम में आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त पारित आदेश के अनुक्रम में सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा के साथ इस कार्यालय द्वारा दिनांक 23.05.2024 को किया गया। तत्पश्चात कारण बताओं नोटिस निर्गत किये जाने हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी, जिसके अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच12672/सी-2/एन0जी0टी0-70/24 दिनांक 19.06.2024 द्वारा उद्योग के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया।


2. उद्योग के विरुद्ध जारी कारण बताओं नोटिस के परिप्रेक्ष्य में पुनः दिनांक 11.07.2024 को उद्योग का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री रामबाबू गुप्ता उपस्थित रहे।

3. निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग में स्थापित 125 के0वी0ए0 के दो नग डी0जी0 सेट पर अभी तक बोर्ड मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग के दीवारों पर डस्ट विद्यमान पायी गयी है, जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग संचालन के समय उत्सर्जित डस्ट से आस-पास के जलसमुदाय को समस्या होना स्वामाविक है।

4. उद्योग में कच्चे माल तथा उत्पाद का भण्डारण पाया गया, साथ ही मूंगफली प्लान्ट के समीप स्कीनिंग का कार्य किया जाता पाया गया तथा अन्य मुख्य प्लान्ट मशीनरी का संचालन बन्द पाया गया।

5. उद्योग द्वारा अभी तक अनुमन्य भू-प्रयोग प्रमाण पत्र एवं भू-गर्भ जल विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है।

6. उद्योग परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण नहीं पाया गया।



(2)

7. उद्योग द्वारा पूर्व प्रेषित नोटरी शपथ पत्र सं०-GB900314 दिनांक 27.04.2023 के आधार पर इस कार्यालय के ऑनलाइन ओ0सी0एम0एम0एस0 पत्र संख्या-182676/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO /both/Mahoba/2023 दिनांक 29.04.2023 द्वारा सशर्त जल/वायु सहमति निर्गत की गयी थी, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.03.2027 तक है। उद्योग द्वारा उपरोक्त प्रेषित नोटरी शपथ पत्र के बिन्दु संख्या-03, 11, 14 व 17 में क्रमशः उल्लिखित किया गया है कि "इकाई स्थल के कामर्शियल/ औद्योगिक प्रयोजन सम्बन्धी भू-प्रयोग प्रमाण पत्र तीन माह में व भू-जल खपत हेतु स्टेट ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनापत्ति/अनुमति दो माह में एवं अग्निशमन विभाग/अन्य सम्बन्धि विभाग से अनुमति दो माह में प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा उक्त इकाई के समीप आबादी/स्कूल एवं प्रदूषण के सम्बन्ध में इकाई के विरुद्ध जनहित में शिकायत प्राप्त होने एवं सही पाये जाने की दशा में समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा इकाई के विरुद्ध की गयी कार्यवाही शपथकर्ता को मान्य होगी एवं इकाई को वर्तमान स्थल से अन्यत्र उपयुक्त स्थल पर नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।"

8. उद्योग को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 19.06.2024 के अनुपालन में उद्योग द्वारा नोटरी शपथ पत्र संख्या-GX018941 दिनांक-05.07.2024 इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जिसके बिन्दु संख्या- 03, 04, 05 व 07 में क्रमशः उल्लिखित किया गया है कि "उद्योग परिसर में स्थापित मूंगफली प्लान्ट में डस्ट नियन्त्रण हेतु और अधिक स्पिंकलर स्थापित कर लिये गये हैं, अनुमन्य भू-प्रयोग प्रमाण पत्र एक माह के अन्तर्गत प्राप्त होने पर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जायेगा, भू-गर्म जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर दिया गया है एवं उद्योग का संचालन वर्तमान में स्थगित है एवं अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगा।"

उपरोक्तानुसार उद्योग द्वारा अभी तक इस कार्यालय में भू-प्रयोग प्रमाण पत्र एवं भू-गर्म जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्रेषित नहीं किया गया है। उद्योग द्वारा प्राप्त सहमति जल एवं वायु में अधिरोपित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स वैष्णो इंटरप्राइजेज, गाटा नं०-1555, बीजा नगर रोड़, सुमाष नगर, महोबा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 19.06.2024 की पुष्टि करते हुये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या सादर प्रस्तुत है।

(राज करन वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

(सुरशील कुमार)
अवर अभियन्ता

(रामदास)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी, महोदया

(Handwritten Signature)
30/7



सुभाष-06182 287470

ई-मेल-info@mahoba.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय : उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं० 2
बौंदा उ०प्र०-210001

दिनांक: 31.07.2024

पत्रांक: 618/सा०-न०/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: माननीय एन०जी०टी० में दाखिल ओ०ए० नं०- 304/2024, ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के परिप्रेक्ष्य में मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेज, गाटा नं०-1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा को जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सादर अवगत कराना है कि मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेज, गाटा नं०-1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच०12672/सी-2/एन०जी०टी०-70/24 दिनांक 19.06.2024 द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस के परिप्रेक्ष्य में उद्योग का निरीक्षण दिनांक 11.07.2024 को किया गया। बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 19.06.2024 की पुष्टि करते हुये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डॉ० माधवी कमलवंशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, महोबा।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी 30/7





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सं. क्र. H/9501

1/सी-2/NGT-70/24

दिनांक 7-11-2024

रोवा में

पंजीकृत

मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेज,
गाटा नं०-1556, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर,
जनपद-महोबा।

यह कि उद्योग मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेज, गाटा नं०-1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा जिले आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मूंगफली, मटर एवं चना का प्रयोग कर पीनट ग्रेन क्षमता-140 कुन्तल/दिन तथा दाल क्षमता-400 कुन्तल/दिन के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(K) के अन्तर्गत औद्योगिक सयंत्र है।

यह कि म० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में दाखिल ओ०ए० नं०-304/2024, ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के अनुपालन में उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 19.06.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, योंदा के पत्र दिनांक 31.07.2024 की आख्यानुसार उक्त उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, बोंदा द्वारा दिनांक 11.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित 125 के०वी०ए० के दो नग डी०जी० सेट पर अभी तक बोर्ड मानको के अनुरूप रिमिडी स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग के दीवारों पर डस्ट विद्यमान पायी गयी है, जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग संचालन में रात्रि उत्सर्जित डस्ट से आस-पास के जनसमुदाय को समस्या होना स्वामाविक है। उद्योग में कच्चे गान तथा उत्पाद का षण्डारण पाया गया, साथ ही मूंगफली प्लान्ट के समीप स्क्रीनिंग का कार्य किया जाता पाया गया उद्योग द्वारा अभी तक अनुमन्य भू-प्रयोग प्रमाण पत्र एवं भू-गर्भ जल विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। उद्योग द्वारा अभी तक क्षेत्रीय कार्यालय में भू-प्रयोग प्रमाण पत्र एवं भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्रेषित नहीं किया गया है। उद्योग द्वारा प्राप्त सहमति जल एवं वायु में अधिरोपित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बोंदा की आख्या दिनांक 31.07.2024 द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत दिनांक 19.06.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पूर्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स वैष्णो इण्टरप्राइजेज, गाटा नं०-1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, महोबा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोबा को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कन्प्लेक्स लि०, महोबा को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, (नगरीय) महोबा को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बोंदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टोल फ्री - 12 वी, विभूति खण्ड, गोरमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720628, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T-12 V. Vibhuti Khand, Gormti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720628, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

